सं. एवी.20015/34/2015-एडी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
एडी अनुभाग
*****

सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली
दिनांक: 09.05.2018

सेवा में,

निदेशक, नागर विमानन,
नागर विमानन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ हवाईअड्डा, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश के जेवर के निकट नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के नागर विमानन निदेशक द्वारा जेवर के निकट नोएडा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किए जाने के अनुरोध संबंधी आवेदन सहित उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के पत्र का संदर्भ लेने तथा एतद्द्वारा आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किए जाने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(वेंकटरमण हेगड़े)
निदेशक
टेलीफोन-24610366

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, लोधी रोड, नई दिल्ली।

7. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), सफदरजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा), नई दिल्ली।
9. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

(i) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय, लखनऊ।

(ii) मुख्य सचिव, नागर विमानन, उत्तर प्रदेश सरकार, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ-226001.

(iii) अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, वाणिज्यिक परिसर, पी-2, सेक्टर- ओमेगा-I, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201308.

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

सैद्धातिक अनुमोदन प्रदान करना

आवेदन संख्या : **एवी.20015/34/2015-एडी**

आवेदक का नाम : **निदेशक नागर विमानन,**
उत्तर प्रदेश सरकार।

पता : **निदेशक नागर विमानन,**
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ हवाईअड्डा,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226009

निर्णय: सक्षम प्राधिकारी ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की दिनांक 20.4.2018 की टिप्पणियों तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी हवाईअड्डा अवसंरचना नीति के प्रावधानों, देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के दिशानिर्देशों के पालन सहित भाविप्रा यूओ नोट दिनांक 20.4.2018 के अनुपालन के अध्यधीन, गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर गांव के उत्तर में सार्वजनिक उपयोग के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्तें

(i) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(ii) प्रवर्तक को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी तथा परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रदान करते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों का भी अनुपालन करना होगा।

(iii) परियोजना प्रवर्तक द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित सरकारी संगठनों/एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त की जाएगी।

(iv) नोएडा हवाईअड्डा परियोजना के प्रथम चरण के लिए निविदा की अंतिम तिथि तक 80% भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

(v) परियोजना प्रवर्तक द्वारा चिन्हित अवरोधों को हटाया जाएगा।

(vi) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे को बहु-माध्यम (Multi-Mode) संपर्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(vii) यमुना एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान में 30 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों/अवसंरचनाओं के निर्माण पर लागू प्रतिबंध, प्रस्तावित हवाईअड्डे के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित भवनों/अवसंरचनाओं पर भी लागू होगा। हवाईअड्डे को अनुज्ञप्ति (Licence) प्रदान किए जाने एवं अधिसूचित किए जाने तक प्रस्तावित फ़नल पथ (Funnel Path) में ऊँची इमारतों/अवसंरचनाओं के निर्माण की अनुमति नहीं दी

जाएगी। इसके पश्चात ऊँचाई निर्धारण से संबंधित मामलों का निपटान प्रचलित विधियों/नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(viii) परियोजना का कार्यान्वयन, जिसमें निविदा प्रक्रिया भी शामिल है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा भारत सरकार (जीओआई) द्वारा क्रमशः दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएएल) के साथ हस्ताक्षरित ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट (ओएमडीए) तथा स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) के अनुरूप किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) अपने विधिक परामर्शदाता से उपलब्ध समझौतों के प्रावधानों का परीक्षण कराकर तदनुसार इस विषय में आगे की कार्रवाई करेगा।

(वेंकटरमण हेगड़े)
निदेशक
दूरभाष: 24610366

दिनांक: 08 **मई**, 2018